राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक / रीडर / 2025 / 831-32 दिनांक:-12.09.2025

आदेश

प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र चिरंजी लाल जाति पूर्विया निवासी शहर के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवार मण्डल शहर एवं भू0 अभिलेख निरिक्षक शहर मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम शहर के जमाबन्दी सम्वत 2074 – 77 खाता संख्या 15,1134,1176 में जाति पूर्विया दर्ज है । राजस्थान सरकार राजस्थान (ग्रुप – 6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(1) राज – 6/2002/37 दिनांक 15.04.21 से राजस्व रिकार्ड में जाति पूर्विया से राजपूत करने के आदेश है । अतः जाति पूर्विया से राजपूत शुद्व किया जाना उचित है । तहसीलदार नादौती ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक संलग्न दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी व भू0 अभिलेख निरिक्षक शुद्वि किया जाना उचित है । रिपोर्ट पटवारी मण्डल शहर एवं भू0 अभिलेख निरिक्षक वृत्त शहर तहसीलदार नादौती रिपोर्ट एवं संलग्न परिपत्र में स्पष्ट अंकित है कि पूर्विया/पूरविया शब्द को राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे । उक्त दस्तावेजों के आधार पर ग्राम शहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नवीन 15,1134,1176 में जाति पूर्विया के स्थान पर राजपूत करने के आदेश दिये जाते है । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो ।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती (करौली)

क्रमांक / सम / 2025 / 832 दिनांक:-12.09.2025

प्रतिलिपि तहसीलदार नादौती को भेजकर लेख है कि तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें ।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dodda Ram
Date: 2025.09.15 18:06:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner